राष्ट्र महिला

खंड 1 संख्या 174 जनवरी 2014 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

संपादकीय

वर्ष 2013 राष्ट्रीय महिला आयोग के लिए घटनापूर्ण वर्ष रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती ममता शर्मा के सक्रिय नेतृत्व में आयोग ने महिलाओं के सशक्तिकरण और महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा और अन्याय को समाप्त करने के लिए दृढ़ता से और अनथक प्रयास किया है। इस समय वर्ष के अंत में आयोग के कार्य और उपलब्धियों का निष्पक्ष मूल्यांकन करने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय महिला आयोग को मिले निदेश को ध्यान में रखते हुए, जो महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा की समीक्षा करना है, उपचारी विधायी उपायों की अनुशंसा करना है, शिकायतों के समाधान में मदद करना है, महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को परामर्श देना है, आयोग ने महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए विभिन्न कदम उठाए और पिछले वर्ष उनकी सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अनथक कार्य किया।

अध्यक्षा ने महिलाओं के प्रति जागरूकता, कन्याभ्रूण हत्या, बाल विवाह, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न, जादू टोना आदि पर पूरे देश में सेमिनार, परामर्श और कार्यशाला का आयोजन करने में पहल की जिससे इन सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध समाज में जागरूकता पैदा की जा सके। सशक्तिकरण के साथ अध्यक्षा ने महिलाओं की तरक्की, शिक्षा और विकास पर अधिक जोर दिया।

महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की योजनाओं और उनकी पात्रता के बारे में उन्हें सूचित करने के लिए महिला अधिकार अभियान आरम्भ किया है।

निर्भया घटना के परिणामस्वरूप, बलात्कार कानून में परिवर्तन करने, महिलाओं की पीछा करने को अपराध मानने और एसिड हमले पर एक पृथक कानून बनाने के बारे में आयोग की सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है।

आयोग ने अनेक बार जेलों, नारी निकेतनों और अस्पतालों का दौरा किया जिससे वहां महिलाओं को होने वाली समस्याओं की प्रत्यक्ष जानकारी ली जा सके और संबंधित प्राधिकारियों को उपचारी कदमों का सुझाव दिया जा सके। पिछले वर्ष आयोग को बहुत अधिक संख्या में शिकायतें प्राप्त हुई, उनका निपटान किया गया और शीघ्र न्याय देने के लिए स्वतः मामले हाथ में लिए। प्रिंट मीडिया और टी.वी. चैनलों में विज्ञापन देकर और नुक्कड़ नाटकों आदि के द्वारा भी प्रचार किया गया और महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अनेक पुस्तकें, पुस्तिकाएं और प्रचार सामग्री भी प्रकाशित की जिससे महिलाओं के अधिकारों के बारे में जानकारी पैदा की जा सके। राष्ट्रीय महिला आयोग ने सिविल सोसायटी को महिला संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूक करने के लिए विभिन्न मेलों में भी भाग लिया।

चर्चा में राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रगति की ओर बढ़ते कदम

श्रीमती ममता शर्मा

भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने पिछले वर्ष राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यालय निर्भय भवन का शिलान्यास किया। वर्ष के दौरान आयोग ने महिलाओं और लड़कियों की अवैध तस्करी रोकने के लिए यूनीफेम के साथ और निराश्रित, विधवा और परित्यक्त महिलाओं के पुनर्वास के लिए आधारभूत संरचना और अनुपंगी सुविधाएं जुटाने के लिए हुडको के साथ मिलकर कार्य करने के लिए सहभागिता की।

आयोग ने महिला संबंधित कानूनों के क्रियान्वयन में संलग्न अधिकारियों के लिए विभिन्न पुलिस और न्यायिक क्षमता निर्माण और जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए। आयोग ने आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, नागालैंड और पश्चिम बंगाल के राज्य आयोगों के साथ वीडियो कांफ्रेंस का उद्घाटन किया। इसने महिलाओं के विरुद्ध अत्याचारों के कथित मामलों की जांच के लिए अनेक जांच समितियां भी गठित की।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने पूर्वोत्तर राज्यों से ऑन लाईन अथवा डाक द्वारा प्राप्त होने वाली शिकायतों का समाधान करने के लिए पूर्वोत्तर प्रकोष्ट की स्थापना की। आयोग ने एक विशेष अध्ययन समिति गठित की जिसका मुख्य उद्देश्य बलात्कार और यौन हिंसा की पीड़ितों और उससे बची महिलाओं के लिए समर्थन तंत्र का अध्ययन करना है। आयोग ने महिलाओं के मुद्दों पर अर्द्ध सैनिक बलों, दिल्ली पुलिस, रेलवे सुरक्षा बल आदि के लिए जागरूकता कार्यक्रमों को भी आरम्भ किया और वह महिला आरक्षण विधेयक को जो अभी भी लोक सभा में लंबित है, पारित कराने के लिए सक्रिय प्रयास भी कर रहा है।

निश्चित ही राष्ट्रीय महिला आयोग को काफी सफलता प्राप्त हुई है फिर भी निष्क्रियता के लिए कोई जगह नहीं है। राष्ट्रीय महिला आयोग यह प्रतिज्ञा लेता है कि वह हमारे देश में महिलाओं के दुःखों को कम करने के लिए अथक प्रयास करेगा और उन्हें महिला न्याय और इंसाफ दिलाने के लिए उचित कदम उठाएगा।

राष्ट्रीय महिला आयोग का मणिपुर का दौरा

राष्ट्रीय महिला आयोग ने पूर्वोत्तर क्षेत्र से संबंधित शिकायतों और अन्य महिला संबंधित मुद्दों की जांच के लिए आयोग में एक पूर्वोत्तर प्रकोष्ठ की स्थापना करने में पहल की। इस संदर्भ में अध्यक्षा ममता शर्मा के नेतृत्व में एक टीम, जिसके सदस्य निर्मला सामन्त प्रभावलकर, सुश्री लालडिंगलिएनी साइलो, संयुक्त सचिव सुनीता खुराना, सुश्री सुधा चौधरी, सुश्री लीलावती और श्री बी.के. अस्थाना थे, मणिपुर में इम्फाल गई। इसमें पूर्वोत्तर महिला आयोगों की अध्यक्षाएं और सदस्य सचिव भी उपस्थित थे।

बाद में उन्होंने ईमा कीथल की महिला विक्रेताओं के प्रतिनिधियों से आपस में बैठक की। इस अनोखी केवल महिला ईमा मार्केट से प्रभावित होकर अध्यक्षा ने कहा कि वह देश के अन्य भागों में केवल महिला व्यापारियों द्वारा चलाई जाने वाली मार्केट काम्पलेक्स की स्थापना की संभावनाओं का पता लगाएगी। तथापि, उन्होंने खेद प्रकट किया कि सामाजिक ढांचे में तेजी से बदलाव लाने के बावजूद मणिपुर में महिलाओं द्वारा हिम्मत और दृढ़ता दिखाए जाने पर भी उनका सामाजिक दर्जा उठा नहीं है। उन्होंने महिलाओं के विरुद्ध किए जाने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए पुलिस, प्रेस और राजनीतिज्ञों के सामूहिक प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया। सामाजिक कल्याण मंत्री कु. ए.के. मीराबाई देवी ने मणिपुर महिला राज्य आयोग को अधिक जीवंत और प्रभावी बनाने में सभी संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर 'हिंसा मुक्त घर, महिला का अधिकार' शीर्षक से एक द्विभाषी पुस्तिका जारी की गई।

● अध्यक्षा ने मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और ईमा कीथल मार्केट के मुद्दों के समाधान से संबंधित अन्य राज्य अधिकारियों के साथ बैठक की। बाद में, वह महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल से मिली। यह प्रतिनिधिमंडल मोरेह भी गया जिससे क्षेत्र की स्थानीय महिलाओं की समस्याओं का आंकलन किया जा सके। टीम ने यह पाया कि स्थानीय अस्पताल में चिकित्सा सुविधाओं की कमी है और आपात स्थिति में रोगियों को इम्फाल जाना पड़ता है। श्रीमती शर्मा ने आश्वासन दिया कि इस मामले को संबंधित अधिकारियों के साथ उठाया जाएगा। महिलाओं ने कुछ लघु उद्योग स्थापित करने की मांग की ताकि वे अपने आपको वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बना सकें। अध्यक्षा ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह संबंधित प्राधिकारियों के साथ इस मुद्दे को उठाएंगी।

● यह प्रतिनिधिमंडल मणिपुर में जे.एल.एन. इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भी गया जहां सुश्री इराम चानू शर्मीला सन् 2000 से भूख हड़ताल पर है और न्यायिक हिरासत में है।

● बाद में, राष्ट्रीय महिला आयोग महिला कैदियों की दशा जानने के लिए मणिपुर सेंट्रल जेल गया। जेल साफ-सुथरी थी और कैदियों को कोई शिकायत नहीं थी। जेल के प्राधिकारियों ने अध्यक्षा को बताया कि उन्हें कैदियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने और उनका पुनर्वास करने के कार्यक्रमों को चलाने

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती ममता शर्मा, कुमारी ए.के. मीराबाई देवी के साथ। (नीचे) मोरेह में महिला समुदाय के साथ बैठक में अध्यक्षा, मणिपुर महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग सदस्या लालडिंगलिएनी साइलो, श्रीमती ममता शर्मा और सदस्या निर्मला सामन्त प्रभावलकर।

के लिए कोई वित्तीय सहायता नहीं मिल रही है। अध्यक्षा ने प्राधिकारियों को आश्वासन दिया कि वह इस संबंध में मणिपुर के मुख्यमंत्री को लिखेंगी।

महत्वपूर्ण निर्णय

● उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सामूहिक बलात्कार में प्रत्येक आरोपी के विरुद्ध बलात्कार करने का ठोस प्रमाण जरूरी नहीं है और ऐसे मामलों में उस व्यक्ति को दोषी ठहराया जा सकता है चाहे उसके विरुद्ध कोई मेडिकल प्रमाण भी न हो। न्यायालय ने सामूहिक बलात्कार के मामले में छः व्यक्तियों को दोषी ठहराने का आदेश दिया बावजूद इसके कि मेडिकल प्रमाण ने दिखाया था कि केवल चार व्यक्तियों ने महिला (अभियोक्त्री) से बलात्कार किया था। तथापि बेंच ने कहा, "व्याख्या I से धारा 376(2)(छ), भारतीय दंड संहिता में लिखा है कि जहां किसी महिला का व्यक्तियों के एक समूह में, जो अपने समान आशय को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं, एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा बलात्कार होता है तो उप-धारा के अर्थ के अंदर माना जाएगा कि प्रत्येक व्यक्ति ने सामूहिक बलात्कार किया है।"

● दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के सभी जोनल एम्बुलेंस अफसरों और वरिष्ठ अधिकारियों को निदेश दिया है कि यौनाचार के पीड़ितों को निःशुल्क प्राथमिकता के आधार पर एम्बुलेंस भेजी जाए। इसने कहा कि दुर्घटना और ट्रामा पीड़ितों से मांग को पूरा करने के अतिरिक्त, एम्बुलेंस का उपयोग गर्भवती महिलाओं और बीमार नवजात शिशुओं को अस्पतालों से उनके घरों को ले जाने-लाने में किया जाए। इसके अतिरिक्त, एम्बुलेंस पीड़ित के साथ जाने वाले परिवार के सदस्यों को नजदीक के अस्पताल ले जाने के लिए उपलब्ध की जाएगी और पीड़ितों को उनके साथ जाने वाले परिवार के सदस्यों के साथ उनके निवास स्थानों पर छोड़ेगी।

महिलाओं के मुद्दों पर मीडिया की भूमिका

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती ममता शर्मा फ्यूचर सोसायटी द्वारा जयपुर में आयोजित "महिलाओं के मुद्दों पर मीडिया की भूमिका" पर एक कार्यशाला में उपस्थित हुई। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यद्यपि केन्द्र ने महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों को रोकने के लिए कड़े कानूनों को बनाया है, उनको अभी उचित ढंग से क्रियान्वित नहीं किया जाता है। ऐसी स्थिति में महिलाओं को आगे आकर अपने अधिकारों पर जोर देना चाहिए। उन्होंने पुलिस पर अपनी नाखुशी जाहिर की कि वह पीड़ितों की मदद करने के बजाए उन पर सुलह करने का दबाव डालती है।

अध्यक्षा कार्यशाला को सम्बोधित करती हुई

देश में बड़ी संख्या में हो रही कन्या भ्रूण हत्या पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि अगले 20 वर्षों में एक ऐसी स्थिति आएगी जब 2 करोड़ लड़कों को विवाह के लिए दुल्हनें नहीं मिलेंगी। उन्होंने आगे कहा अब भी महिलाओं को जादूगरनी बताया जाता है और छत्तीसगढ़, झारखण्ड और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में उन पर अत्याचार किए जाते हैं। ऐसे अत्याचारों को रोकने के लिए कठोर उपाय किए जाने चाहिए और इससे मीडिया को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। अनेक प्रसिद्ध पत्रकारों ने भी इस अवसर पर बोला।

सदस्यों के दौरे

❖ राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या शमीना शफीक नई दिल्ली में बहादुर लड़की निर्भया को समर्पित "महिलाओं को न्याय" पर एक राष्ट्रीय सेमिनार और आर्ट वर्कशॉप में उपस्थित होने के लिए इंडिया वर्ल्ड फाउंडेशन गई। ● सदस्या दसवें वार्षिक समारोह और डॉ. जाकिर हुसैन फाउंडेशन द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आयोजित "समकालीन महिलाओं में व्याप्त असुरक्षा की भावना" पर एक राष्ट्रीय सेमिनार में उपस्थित हुई जिसे भारत के उपराष्ट्रपति की पत्नी श्रीमती सलमा अंसारी ने उपस्थित होकर गरिमा दी। सदस्या ने लिंग निर्धारण परीक्षण और कन्या भ्रूण हत्या को जो देश में असंगत लिंग अनुपात के लिए जिम्मेदार है, समाप्त करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

श्रीमती शमीना शफीक (बाएं) श्रीमती सलमा अंसारी (दाहिने) के साथ सेमिनार में

❖ राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या हेमलता खेरिया मेरठ चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित "भारत में श्वेत क्रांति" पर संगोष्ठी और अभिनंदन समारोह में मुख्य अतिथि थी। उन्होंने इस संदर्भ में कहा कि श्वेत क्रांति में महिलाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है और यह भी कहा कि एक सामाजिक क्रांति की आवश्यकता है ताकि अपराधों पर रोकथाम रखी जा सके। उन्होंने जोर देकर कहा कि मीडिया महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ● सदस्या उज्जैन में जिला जेल गई और मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं वाली महिला कैदियों को कानूनी सहायता, व्यावसायिक प्रशिक्षण, चिकित्सा सुविधाएं देने और महिला कैदियों के भोजन, शिक्षा सुविधाओं, सफाई समस्याओं के बारे में चर्चा करने के लिए जेल अधीक्षक और अन्य जेल अधिकारियों और महिला कैदियों के साथ बैठक की। ● बाद में, वह सुश्री सुषमा सिंह, महानिरीक्षक, महिला विंग, भोपाल से मिलीं और मध्य प्रदेश में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की।

अभिनंदन समारोह में सदस्या हेमलता खेरिया (दाहिने से दूसरी)

❖ राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या ने एडवोकेट निर्मला सामन्त प्रभावलकर ने महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की सदस्या एडवोकेट विजय बनगडे के साथ महाराष्ट्र में चंद्रपुर जेल का दौरा किया और 19 महिला कैदियों, जिनमें अधिकांश विचाराधीन कैदी थीं, के साथ बातचीत की।

यह पाया गया कि उन्हें जेल मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार उचित भोजन, कपड़े दिए जा रहे हैं और उनकी नियमित स्वास्थ्य जांच की जाती है। ● श्रीमती प्रभावलकर हिमाचल प्रदेश राज्य आयोग की अध्यक्षा के साथ कांडा जेल गई और वहां 16 महिला कैदियों के साथ बातचीत की। राष्ट्रीय महिला आयोग रिकॉर्ड में यह दर्ज करना चाहती है कि यह एक बहुत अच्छा मॉडल जेल दिखाई देता है जिसकी बैरकें साफ-सुथरी हैं और दवाई, कानूनी सहायता और नियमित स्वास्थ्य जांच के साथ अलग से बिस्तर, तकिया, कम्बल आदि दिया जाता है। ● सदस्या वाडिया अस्पताल और सिद्धिविनायक मंदिर न्यास द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक कार्यक्रम में उपस्थित हुई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जागरूकता पैदा करना और ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों के निर्धन और जरूरतमंद नवजात शिशुओं के दिल के ऑपरेशन करने के लिए कार्डिएक क्लीनिक हेतु धन एकत्रित करना था। इसमें मुख्य अतिथि श्री सचिन तेंडुलकर थे। ● सदस्या पुलिस महानिदेशक, केरल द्वारा महिला पुलिस अफसरों के लिए आयोजित 'महिला जागरूकता' दो दिवसीय सेमिनार में उपस्थित हुई। सदस्या तिरुअनंतपुरम में सेंट्रल जेल की महिला वार्ड और महिला कैदियों के लिए एक खुली जेल भी गई। ● श्रीमती प्रभावलकर महाराष्ट्र के कांदाविली में होली अस्पताल गई और म्यूनिसिपल काउंसलर श्रीमती शीतल महात्रे, जिसका यौन उत्पीड़न किया गया था, से मिली। सदस्या ने उन्हें आयोग से सभी संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। ● सदस्या ने श्रीमती विमल गुप्ता, पूर्व रेलवे कर्मचारी की विधवा को महंगाई भत्ता समेत 3500 रुपये प्रति महीने की बढ़ी पेंशन पाने में मदद की जबकि पहले उसे 350 रुपये की पेंशन मिल रही थी।

श्रीमती निर्मला सामन्त प्रभावलकर वाडिया अस्पताल में श्रोताओं को संबोधित करती हुई। श्री सचिन तेंडुलकर उनके दाहिने ओर हैं

❖ राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या डॉ. चारू वलीखन्ना बेंगलूरु में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया में "एन.आर.आई. विवाह : मुद्दे और चिंता" पर आयोजित सेमिनार में मुख्य अतिथि थी। उन्होंने "एन. आर.आई. विवाह : मुद्दों और चिंता की जटिलता की समझ" पर तकनीकी सत्र में भाषण दिया। बाद में, वह कर्नाटक के राज्यपाल डॉ. हंसराज भारद्वाज से मिली और उनके साथ महिला संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। ● सदस्या नई दिल्ली में दूरदर्शन द्वारा "कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम" पर आयोजित कार्यशाला में मुख्य अतिथि थी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न महिला-पुरुष समानता और उत्पीड़न से मुक्त सुरक्षित वातावरण में कार्य करने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। राष्ट्रीय महिला आयोग की "डू नॉट फियर, बियर, एडमिट" शीर्षक से प्रकाशन प्रतिभागियों में वितरित किया गया। ● डॉ. वलीखन्ना प्रवासी भारतीय कार्य और युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित "प्रवासी भारतीय दिवस" में वक्ता थी। सदस्या ने "प्रवासी भारतीयों की महत्वाकांक्षाएं" पर महाधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता श्री मनीष तिवारी, सूचना और प्रसारण मंत्री ने की, में भाषण दिया।

डॉ. चारू वलीखन्ना एन.आर.आई. विवाह पर सेमिनार का उद्घाटन करते हुए

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा की गई जांच

● सुश्री हेमलता खेरिया ने सामाजिक कार्यकर्त्री मानसी प्रधान के साथ मिलकर एक समाचार पत्र में "ओड़िसा लड़की को 3 दिन बंधक बनाकर 6 व्यक्तियों ने उसके साथ बलात्कार किया" शीर्षक से प्रकाशित रिपोर्ट की जांच की। एक विस्तृत रिपोर्ट 23.01.2014 को प्रस्तुत की गई।

● सुश्री खेरिया ने मानसी प्रधान के साथ "बानपुर थाना, खुर्द जिला, ओड़िसा में 6 व्यक्तियों द्वारा एक 30वर्षीय महिला से बलात्कार किया और उसका मोबाईल में चित्र उतारा गया" शीर्षक से समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्ट की जांच की। एक विस्तृत रिपोर्ट 23.01.2014 को प्रस्तुत की गई।

अग्रेतर सूचना के लिए देखिए हमारा वेबसाइट : www.ncw.nic.in

राष्ट्रीय महिला आयोग, 4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002 द्वारा प्रकाशित। सम्पादक : गौरी सेन। आकांक्षा इम्प्रेशन, 18/36, गली नं. 5, रेलवे लाइन साईड, आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-5 द्वारा मुद्रित।